



**Office of the District Basic Education Officer
BUDAUN**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **N S ACEDAMY PEPAL BUDAUN, PEPAL BUDAUN** is permanently recognized for Primary(class 1 to 5). The Recognition number allotted to N S ACEDAMY PEPAL BUDAUN is **33879-882**. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

15-10-2022(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4. School Type

Pre-Primary School and Primary School

5. Recognition No.

33879-882

DATE:- 15-10-2022

PLACE:- BUDAUN

District Basic Education Officer
Signature valid
Date: 2022-10-15 14:43:45
Reason: For Digital Signature
Location: BUDAUN



Note This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.pernaup.in

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ।

पत्रांक:
सेवा में,

बेसिक/33879-882/2020-21

दिनांक: 25/02/2021

(कक्षा 01 से कक्षा 05 तक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम)

प्रबन्धक,

एन0एस0 एकेडमी,

ग्राम पेंपल, जनपद बदायूँ।

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम-1972 की धारा-13 की उपधारा-1 के अधीन प्रदत्त अधिकार के अधीन हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।
महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय आपके आवेदन तथा इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ शासनादेश सं0 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11.01.2019 एवं संशोधित शासनादेश सं0 196/अडसठ-3-2020-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 29.06.2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता समिति के निर्णय के उपरान्त एन0एस0 एकेडमी, ग्राम पेंपल, जनपद बदायूँ को 01 (एक वर्ष) की अवधि के लिये कक्षा-01 कक्षा से कक्षा-05 (हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम) के लिये औपबन्धिक मान्यता प्रदान करने की संसूचना करता हूँ।
उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है:-

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-05 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
02. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबन्ध-1) और निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा 05 में उस कक्षा में बालकों की सं0 के प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
04. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
05. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
06. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण उसको प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-

07. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
08. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
09. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
10. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
11. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
12. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और की विधिमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेगे।
13. अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन निनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
14. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किदाकलापो में नियोजित नहीं करेगा। विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा। विद्यालय शासनादेश के बिन्दु सं0-17

५

५

में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	— 6800.00 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्र	— 992.38 वर्ग मी0
क्रीडास्थल का क्षेत्र	— 5807.62 वर्ग मी0
कक्षाओं का संख्या	— 5
प्रध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डारागार के लिये कक्ष	— 1
बालक व बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	— है।
पेयजल सुविधा	— है।
भिड डे मील पकाने के लिये रसोई	— है।
बाधारहित पहुँच	— है।

अध्यापन पाठन सामग्री/क्रीडा खेल-कूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता— पर्याप्त।

- विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।
- विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1560 का 21) के अधीन राष्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- स्कूल को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ब एकाउन्टेंट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- विद्यालय ऐसी सूचना प्रस्तुत करता है जो कि समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्रधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

07. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायें।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय के प्रबन्धन द्वारा जो पत्राजात/प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं अथवा प्रबन्धक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें भविष्य में कोई त्रुटि/असत्यता पाये जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

नोट— यू-डायस कोड हेतु www.sdms.udise.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर यू-डायस कोड प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(रामपाल सिंह राजपूत)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बदायूँ।
दिनांक: उक्तवत्

पृ0सं0: बेसिक / / 2020-21
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तृतीय मण्डल बरेली।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बदायूँ।
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, /खण्ड शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) जनपद बदायूँ।
- कार्यालय गठित पत्रावली हेतु।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बदायूँ।

कार्यालय :- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ।

आ0सं0:बेसिक/

/2020-21 दिनांक - 21/12/2020

- कार्यालय आदेश -

इस कार्यालय के पत्रांक:बेसिक/मान्यता/4027-30/2020-21 दिनांक 03.10.2020 के माध्यम से एन0एस0 एकेडमी, पेंपल, बदायूँ को कक्षा 06 से 08 तक हिन्दी माध्यम की मान्यता प्रदान की गयी।

उक्त के क्रम में श्री शिव शंकर मिश्र, प्रबन्धक, एन0एस0 एकेडमी, पेंपल, बदायूँ द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), तृतीय मण्डल, बरेली के पत्रांक:प्र0स0/4809/2020-21 दिनांक 11.12.2020 के क्रम में कार्यालय पत्रांक:बेसिक/मान्यता/4027-30/2020-21 दिनांक 03.10.2020 में अंकित "हिन्दी माध्यम" को "अंग्रेजी माध्यम" पडा जायें। शेष यथावत् रहेंगा।

(रामपाल सिंह राजपूत)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।

पृ0सं0: बेसिक/मान्यता/28356-59 /2020-21 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली मण्डल, बरेली।
02. जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बदायूँ।
03. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद बदायूँ।
04. कार्यालय गठित पत्रावली हेतु।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	—	4000 वर्ग मी०
कुल निर्मित क्षेत्र	—	982.38 वर्ग मी०
क्रीडास्थल का क्षेत्र	—	प्रांगण
कक्षाओं की संख्या	—	12
प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भण्डारागार के लिये कक्ष	—	01
बालक व बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	—	है।
पेयजल सुविधा	—	है।
मिड डे मील पकाने के लिये रसोई	—	नहीं
बाधारहित पहुँच	—	है।

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेल-कूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता - पर्याप्त।

09. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन राष्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक...../2019-20 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी सूचना प्रस्तुत करता है जो कि समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा जो पत्राजात/प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं अथवा प्रबन्धक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें भविष्य में कोई त्रुटि/असत्यता पाये जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

नोट:- यू-डायस कोड हेतु www.sdms.udise.in वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर यू-डायस कोड प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(रामपाल सिंह राजपूत)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ

पृ०सं०: बेसिक/मान्यता/ 4027-30 /2019-20 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली मण्डल, बरेली।
02. जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बदायूँ।
03. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद बदायूँ।
04. कार्यालय गठित पत्रावली हेतु।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ।

पत्रांक: बेसिक/मान्यता/ 4027-30
सेवा में,

/2020-21 दिनांक 03/10/2020
(कक्षा-06 से कक्षा 08 तक हिन्दी माध्यम)

प्रबन्धक

एन0एस0 एकेडमी

पेंपल, वि0क्ष0 वजीरगंज (बदायूँ)

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम-1972 की धारा-13 की उपधारा-1 के अधीन प्रदत्त अधिकार के अधीन हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके के आवेदन तथा इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ शासनादेश सं0: 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 11.01.2019 एवं संशोधित शासनादेश सं0: 196/अडसठ-3-2020-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 29.06.2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता समिति के निर्णय के उपरान्त एन0एस0 एकेडमी, पेंपल, वि0क्ष0 वजीरगंज (बदायूँ) को दिनांक 01 अप्रैल 2020 से दिनांक 31 मार्च 2021 (01 वर्ष) की अवधि के लिये कक्षा-06 से कक्षा-08 (हिन्दी माध्यम) के लिये औपबन्धिक मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है:-

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-08 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
02. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबन्ध-1) और निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा 08 में उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
04. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
05. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
06. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण उसको प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

01. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
02. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
03. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी
04. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
05. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
06. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम आर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और की विधिमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम आर्हतायें नहीं हैं, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम आर्हतायें अर्जित करेंगे।
07. अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
08. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।
07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचरिया के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
08. विद्यालय शासनादेश के बिन्दु सं0-17 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ।

पत्रांक: बेसिक / 10918-19 / 2021-22

दिनांक: 16 / 11 / 2021

प्रबन्धक,

एन0एस0 एकेडमी,

ग्राम पेंपल, जनपद बदायूँ।

विषय: विद्यालय की प्राईमरी स्तर (कक्षा-6 से कक्षा-8 तक अंग्रेजी माध्यम) की
स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

आपने अपने पत्र दिनांक 28.10.2021 के द्वारा अपने विद्यालय को प्राप्त अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता में परिवर्तित किये जाने की प्रार्थना की है। शासनादेश संख्या 89/अडसठ -3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 11.01.2019 में निहित प्राविधानों के पैरा-2 के खण्ड-4 के अनुसार" निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता प्राप्त प्रथमतः 01 वर्ष के लिये दी जायेगी। एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तों को पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।" उक्त के आधार पर आपके विद्यालय को प्राईमरी स्तर (कक्षा-6 से कक्षा-8 तक अंग्रेजी माध्यम) की स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।


16.11.21

(डा0 महेन्द्र प्रताप सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

बदायूँ। 

दिनांक: उक्तवत्

पृ0सं0: बेसिक / / 2021-22

प्रतिलिपि खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र वजीरगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बदायूँ।